(13)

परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 24 दिसम्बर, 1974 को 11-00 बजे पूर्वाह्न में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1974 की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1) श्री जगदीश शरण अग्रवाल		अध्यक्ष
2) श्री बी0एस0कटारा	आवास आयुक्त	सदस्य
3) श्री राज बहादुर त्रिवेदी		सदस्य
4) श्री कल्यान दास जैन		सदस्य
5) श्री एच0के0मल्होत्रा	विशेष वित्त सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
6) श्री अतहर हुसैन	आयुक्त एवं सचिव, स्था0शा0एवं निवास विभाग	सदस्य
7) श्री अविनाशी चन्द्र चतुर्वेदी	मुख्य अभियन्ता, स्था0शा0अभि0वि0	सदस्य
8) श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य

2— बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

पद संख्या	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1)	परिषद की दिनांक 2 नवम्बर, 1974 को हुई वर्ष 1974 की छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	VII/(1)/74	कार्यवृत्त के संबंध में अध्यक्ष महोदय के सुझाव के अनुसार पद संख्या 20 में आंशिक संशोधन करते हुये कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से उसकी पुष्टि की गई । पद संख्या 20 को संशोधन के पश्चात इस प्रकार पढ़ा जाय:- " परिषद ने लाजपतनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मुरादाबाद में स्थित जनकल्याण गृह निर्माण समिति की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि समिति की केवल 25-80 एकड़ भूमि जिस पर समिति का पूर्ण रूप से स्वामित्व है और किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है, को पूर्व निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत अर्जन से मुक्त किया जा सकता है परन्तु ऐसा करने से पूर्व वैधानिक स्थिति का अच्छी तरह परीक्षण करा लिया जाय । अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये ।"
2)	परिषद की वर्ष 1974 की छठी बैठक दिनांक 2 नवम्बर, 1974 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	VII/(2)/74	परिषद ने वर्ष 1974 की छठी बैठक दिनांक 2 नवम्बर, 1974 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया ।
3)	मण्डलीय लेखाकारों के पद के वेतनक्रम पर पुनः विचार ।	VII/(3)/74	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात वित्त सचिव के प्रतिनिधि के सुझाव पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि मण्डलीय लेखाकारों के उन पदों का जो शासन के विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जायें जो महालेखाकार द्वारा मण्डलीय लेखाकार की सूची में क्रमबद्ध हो या जो पात्रता के आधार पर परिषद के लेखाकारों द्वारा भरे जायें, का वेतनक्रम पूर्व स्वीकृत रु0 400-750 के स्थान पर रु0 450-25-575-द0रो0-25-700 रखा जाये । साथ ही परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वित्त विभाग के प्रतिनिधि तथा आवास आयुक्त इस बात पर विचार कर लें कि परिषद के लेखाकारों के मण्डलीय लेखाकारों के पदों पर पात्रता के लिये कोई परीक्षा रखी जाय अथवा नहीं । इन अधिकारियों द्वारा

(शारदा नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

1	2	3	4
			लिया गया निर्णय परिषद् का निर्णय माना जायेगा।
4)	रु० 80 लाख का अल्प समयक ऋण (वेज एण्ड मीन्स एडवान्स) शासन से लेना।	VII/(4)/74	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि शासन से रु० 80 लाख के अल्प समयक ऋण (वेज एण्ड मीन्स एडवान्स) की स्वीकृति के लिये अनुरोध किया जाय।
5)	पंचमहानगरियों में विकास प्राधिकरण की स्थापना परिषद् की योजनायें जो धारा 32 के अधीन स्वीकृत नहीं है उनका विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण।	VII/(5)/74	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इलाहाबाद की नवाब रोड योजना (0-56 एकड़) को छोड़कर और सभी योजनाओं को संबंधित विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाये। साथ ही साथ सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से यह भी अनुरोध किया जाये कि संबंधित विकास प्राधिकरण की ओर से इन योजनाओं पर परिषद् द्वारा सर्वे आदि पर व्यय किये गये धनराशि की प्रतिपूर्ति कराने का कष्ट करें।
6)	काशीपुर की रामनगर रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना को आगे चलाने के सम्बन्ध में।	VII/(6)/74	परिषद् द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से काशीपुर की रामनगर रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना को छोड़ देने का निर्णय लिया गया।
7)	मोहनपुरी विस्तार गृहस्थान योजना मेरठ संख्या-8 के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के संबंध में नियोजन समिति पश्चिमी क्षेत्र की बैठक के कार्यवृत्त पर निर्णय।	VII/(7)/74	परिषद् द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मोहन-पुरी विस्तार गृहस्थान योजना, मेरठ संख्या-8 का परित्याग किया जाये।
8)	रमना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद को आगे चलाने अथवा परित्याग करने पर विचार।	VII/(8)/74	परिषद् द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रमना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद को परित्याग करने के पूर्व शासन को यह लिखते हुये अनुरोध किया जाये कि योजना के लिये माँगा गया प्रीमियम तथा वार्षिक किराये की धनराशि अत्याधिक है और प्रीमियम तथा वार्षिक किराये के रूप में माँगी गई धनराशि में आवश्यक कमी की जाये। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये और शासन के निर्णय के साथ इस योजना को परिषद् के समक्ष विचारार्थ पुनः रखा जाये।
9)	ट्रान्स जमुना गृहस्थान एवं सड़क योजना, आगरा में समाविष्ट श्री कृष्ण कुमार पालीवाल की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में उनका पत्र दि० 8-8-74।	VII/(9)/74	परिषद् द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ट्रान्स जमुना गृहस्थान एवं सड़क योजना, आगरा के संबंधित प्लानेस के साथ परिषद् की अगली बैठक में पुनः विचारार्थ रखा जाये।
10)	परिषद् द्वारा ब्याज की दर में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में।	VII/(10)/74	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि परिषद् की सम्पत्ति आवंटन के मूल्यांकन में तथा किश्तों के निर्धारण में निम्न-लिखित ब्याज की दरें अपनाई जायें। सम्पत्ति के मूल्यांकन पर 1 अप्रैल, 1975 के बाद जो सम्पत्ति आवंटित हो यह दरें लागू की जायें:- 1- भूखण्डों तथा मध्यम आय वर्ग के भवनों हेतु- 9% 2- अल्प आय वर्ग के भवनों हेतु- 8% 3- समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के भवनों हेतु- 6-5% 4- पंजीकरण के लिये जमा धनराशि पर दिये जाने वाले ब्याज की दर -6% (यथावत रहें) कृ०पृ०उ०

(signature)
(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

(15)

1	2	3	4
11)	मेरठ गढमुक्तेश्वर व मेरठ हापुड मार्गो के मध्य स्थित भूमि पर एक भवन निर्माण व स्ट्रीट-स्कीम-स्कीम नं0-3 में समाविष्ट प्लाट संख्या 5959 में स्थित श्री डाल चन्द्र मेरठ के मकान व आबादी वाले प्लाट संख्या 5951 को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।	VII/(11)/74	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि मेरठ गढमुक्तेश्वर व मेरठ हापुड मार्गो के मध्य स्थित स्कीम नं0-3 में समाविष्ट प्लाट संख्या-5959 पर बने श्री डाल चन्द्र मेरठ के [भवन?] को [ले-आउट?] में समायोजित किया जाये तथा आबादी वाले [illegible] क्षेत्र को जो प्लाट संख्या-5951 पर है को अर्जन से मुक्त किया जावे।
12)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, काशीपुर को धारा 28 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	VII/(12)/74	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, काशीपुर (जिला-नैनीताल) को धारा 28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
13)	रायबरेली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1	VII/(13)/74	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से रायबरेली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1, को अनुमोदित करते हुये परिषद् अधिनियम की धारा-31(2) के अन्तर्गत शासन को स्वीकृति हेतु भेजने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
14)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4, सहारनपुर।	VII/(14)/74	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4, सहारनपुर को अनुमोदित करते हुये परिषद् अधिनियम की धारा-31(2) के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति हेतु भेजने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
15)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, सहारनपुर।	VII/(15)/74	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, सहारनपुर को अनुमोदित करते हुये परिषद् अधिनियम की धारा-31(2) के अन्तर्गत शासन को स्वीकृति हेतु भेजने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
16)	अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।	VII/(16)/74	अध्यक्ष महोदय के सुझाव पर परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से पटवासन स्कीम, आगरा में डा0 डी0 एन0 गुप्ता, मेजर जसविन्दर पाल सिंह सिद्धू तथा श्री सरदार बलबीर सिंह द्वारा उठाये गये विवाद पर विचार करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक उप-समिति गठित की :- 1) अध्यक्ष 2) आवास आयुक्त 3) श्री अतहर हुसैन, आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन विभाग। 4) श्री कल्याण राय जैन 5) श्री जयन्ती प्रसाद दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक। साथ ही साथ यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संबंध में उप-समिति द्वारा लिया गया निर्णय परिषद् का निर्णय माना जायेगा।

[illegible signature]
([illegible])
[illegible] [आवास आयुक्त एवं सचिव?]